

**ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE OF EQUINES  
SIRSA ROAD, HISAR (HARYANA)**

F.No.9-151/Misc/2022

**AUCTION NOTICE**

Unserviceable/ Condemned scarp/items (scientific equipment, mechanical and electrical items, agriculture, wooden items, iron scrape and misc. items of ICAR-NRC on Equines, Hisar are to be sold/auctioned through public auction on 30.07.2024 at 11:00AM at this Centre under "as is where is basis" condition. For terms and condition, visit <http://nrce.gov.in>.

  
Assistant Administrative Officer

  
9/7/2024

## भा.कृ.अ.प.- राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार (हरियाणा)

भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार (हरियाणा) में कण्डम किये गये सामान को नीलाम करने सम्बंधि नियम व शर्तें:-

1. निलामी के लिये रखा कण्डम सामान “जहाँ है, जैसे है” की हालात में दिया जाना है।
2. निलामी के लिये रखे कण्डम सामान की बोली Lot Wise करवाई जायेगी।
3. प्रत्येक बोलीदाता को बोली से पूर्व निर्धारित धरोहर राशि रु0 10000.00 जमा करवानी होगी। बोली प्रक्रिया उपरान्त सफल बोलीदाता को छोड़ बाकी सभी की धरोहर राशि बोली समाप्ति पर वापिस कर दी जायेगी।
4. सफल बोलीदाता को कुल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत रकम मौके पर जमा करवानी होगी।
5. सफल बोलीदाता को नीलामी में खरीदें गये सामान को बोली समाप्ति उपरांत 3 दिन के अंदर—अदर 75 प्रतिशत बकाया राशि जमा करवाते हुये स्वयं के खर्च एवं जोखिम पर संस्थान के परिसर से उठवाना होगा। ऐसा न होने की स्थिति में बोलीदाता द्वारा पूर्व में जमा करवाई गई 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जायेगी व सामान को पुनः नीलामी द्वारा बेचा जायेगा। किसी कारणवश खरीददार बोलीदाता निर्धारित अवधि में सामान नहीं उठा पाता है तो ऐसी स्थिति में उस समान की इस केन्द्र की कोई भी जिम्मेदारी / जवाबदेही नहीं होगी।
6. सफल बोलीदाता को अंतिम नीलामी राशि पर नियमानुसार 18 प्रतिशत की दर से GST भी जमा करवाना होगा।
7. सामान संस्थान से बाहर ले जाने से पूर्व संस्थान के भंडार अनुभाग से आवश्यक गेट पास लेना अनिवार्य होगा।
8. संस्थान के बाहर सामान ले जाने के बाद संस्थान की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी अर्थात् संस्थान के बाहर किसी भी प्रकार के विवाद की जिम्मेदारी खरीददार की रहेगी।
9. निदेशक, भा.कृ.अनु.प.—रा.अ.अ.केन्द्र, हिसार को किसी भी बोली को बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। अतः उनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।